

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी

...

मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं.

...

153 / 2021

सरकार

बनाम्

उम्मेद पुत्र दाताराम, जाति- जांगिड़ ब्राह्मण,  
निवासी- बिशनपुरा(काकोड़ा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 06.09.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल उम्मेद पुत्र दाताराम, जाति- जांगिड़ ब्राह्मण, निवासी- बिशनपुरा(काकोड़ा) द्वारा रोही मौजा बिशनपुरा(काकोड़ा) की भूमि ख.नं. 33 के कुल रकबा 0.42 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है 0 पर जुताई कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

च० ले० सं० 4 के वृत्त सं..... 28 पर  
दिनांक 2021-22 में रुपये..... 8/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)  
तहसीलदार, सूरजगढ़